'ओन यूअर वेगन स्कीम' में संशोधन

389. **श्रीमती सरला माहेश्वरी:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "ओन यूअर वेगन स्कीम" में कुछ संशोधन किये गये हैं; यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अधीन निजी क्षेत्र से अब तक कितने प्रस्ताव आये हैं; और

(ग) क्या इस योजना के अधीन ढुलाई दर में कुछ रियायतें दी जा रही हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) मौजूदा "अपने मालडिब्बे के स्वयं मालिक बनें योजना" में कोई संशोधन नहीं किया गया है।

(ख) निजी क्षेत्र की पार्टियों से 288 मालडिब्बों के लिए 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ग) जी नहीं।

Tender for Electric Locomotive

390. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the MINISTER OF RAILWAYS be pealscd to state;

(a) whether it is a fact that the Railways have floated global tenders for 50 electric locomotives of 3900 HP capacity;

(b) if so, the number of foreign/ indigenous units that have responded to the said tender;

(c) whether this particular technology has virtually become obsolete; and

(d) if so, the reasons for opting for such type of locomotives;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI K.C. LENKA): (a) and (b) No, Sir. However, a budgetary offer has been invited from Indian manufacturers for two different slabs of 25 and 50 locomotives of 3900 HP capacity with tap changer control or with thyristor convenors to explore the possibility of supplementing the locomotive fleet on hire-purchase basis. Two Indian manufacturers viz. M/s BHEL and Cromption Greaves have responded.

(c) Tap changer technology is being used in the locomotives currently manufactured at CLW and BHEL. This is of 1960 vintage.

(d) The main reason for calling Budgetary offers for such type of locomotives is the possibility of their becoming available much earlier & at reasonable cost than the locomotives to be built with a later technology.

रेल दुर्घटनाएं

391. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1990, 1991, 1992 और 1993 में देश में राज्यवार कुल कितनी रेल दुर्घटनायें हुई और प्रत्येक दुर्घटना में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) प्रत्येक दुर्घटना में मृत यात्री के निकटतम संबंधी को कितनी क्षतिपूर्ति धनराशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या सरकार ने प्रत्येक रेल दुर्घटना के संबंध में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिये हैं क्या जांच आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(घ) प्रत्येक दुर्घटना में सरकार को कितनी हानि हुई है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय सम्पत्ति की रक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाये गये हैं; और

(ङ) इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) के (ङ) गाड़ी दुर्घटनाओं के राज्य-वार आंकड़े नहीं बनाये जाते हैं। बहरहाल, गाड़ी दुर्घटनाओं का रेलवे क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:—